COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(90)

न्यायालय श्रीमान म0प्र0राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक :– /16 निगरानी नि जा – 2892 – पी बी आर 16

गफुसबी विधवा वासलखॉ कृषक ग्राम बज्जाहेड़ा निवासी मीरकलॉ बाजार शाजापुर (म.प्र.)

...................आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री .... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 16-8-16 16-8-16 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विरूद्व

01. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प0ह0नं0 17 ग्राम बज्जाहेड़ा तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.)

02. दरबारसिंह पिता दोलतसिंह निवासी ग्राम बज्जाहेड़ा तहसील व जिला शाजापुर

....................अनावेदकगण

80 16/8/16

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय जिला शाजापुर के प्रकरण क्र0 306/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 14–07–2016 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक दो द्वारा भूमि सर्वे नं0 706 का सीमांकन करवाने हेतु आवेदन दिए जाने पर पटवारी मौजा द्वारा दिनांक 12–06–2016 को बिना किसी आधार के फिल्ड बुक बनाए बिना सींमांकन किया जो प्राथमिक द्वष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि सीमांकन के समय आवेदक को कोई सुचना किसी प्रकार की नहीं दी व आवेदक की भूमि सर्वे नं0 702, 703, 704, 705 में रकबा 0.22 आरे भूमि निकाल दी जो अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

03. यह कि सीमांकन पटवारी मौजा द्वारा किया गया पटवारी मौजा द्वारा राजस्व निरीक्षक को भी सीमांकन की जानकारी नहीं दी गई व केवल पटवारी मौजा ने ही सीमांकन कर वहॉ पंचनामा बनाया व सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा तहसीलदार महोदय ने यह भी नहीं देखा कि सीमांकन रिपोर्ट पटवारी ने प्रस्तुत की है या राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई है उन्होने यह देखे बिना आदेश पारित करते हुए कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

90

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2892-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	